न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 168 / 2022

1. कुम्भाराम पुत्र कोजूराम जाति नायक निवासी सिंथल हाल चक 34 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 एल. आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 21.07.23**

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता कोजूराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी सिंथल के नाम से आवंटन शुदा भूमि वाके राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 34 केवाईडी का मु0नं0 182 / 60 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड पुख्ता आवंटन कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थी के पिता कोजूराम का देहान्त हो जाने के बाद प्रार्थी ने अपने पिता का जायज वारिसान होने की हैसीयत से अपने पिता के नाम की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया। जिसपर तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने कार्यवाही करते हुवे उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दिनांक 10.05.1993 को स्वीकृत कर दिया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम कुम्भाराम दर्ज किया गया। उसके बाद प्रार्थी ने उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाकर खातेदारी सनद का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया। जिसका नामान्तरण सं0 245 दिनांक 18.06.2009 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरण सं0 245 में भी प्रार्थी का नाम सही अंकित है। जबकि सन् 2014 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कुमोराम दर्ज कर दिया गया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कुमोराम के स्थान पर कुम्भाराम दुरुस्त किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा वादपत्र के पक्ष में आधारकार्ड, जमाबंदी व परिचयपत्र व नामान्तरण प्रतियां प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का नाम कुम्भाराम अंकित है। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम कुमोराम की जगह कुम्भाराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चक 34 केवाईडी का मु0नं0 182 / 60 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कुमोराम की जगह कुम्भाराम दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)